HRA INUSA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग 111—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 23, 2012/अग्रहायण 2, 1934

No. 255]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 23, 2012/AGRAHAYANA 2, 1934

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2012

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) छठा संशोधन विनियम, 2012

सं. भाराराप्रा/11011/17/2012-एच.आर.। (खण्ड V).- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नित) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, विरष्ठता और प्रोन्नित) छठा संशोधन विनियम, 2012 कहलाएंगे ।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नित) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) के विनियम 11 में उपविनियम (3) के खंड (ख) के स्थान पर निम्निलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
 - "(ख) उपप्रबंधक और प्रबंधक के गैर-तकनीकी पदों के लिए चयन समीति का गठन नीचे खंड (ग) में दर्शाए गए अनुसार होगा और उप महाप्रबंधक के गैर-तकनीकी पदों के लिए चयन समिति में एक सदस्य तथा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नामित किये जाने वाले तीन मुख्य महाप्रबंधक रहेंगे।"
- 3. मूल विनियम के विनियम 11 में, उपविनियम (4) के स्थान पर निम्निलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(4) समूह-ख, ग और घ के पर्दों के अभ्यर्थियों के चयन के मामले में, चयन समिति में एक मुख्य महाप्रबंधक और नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नामित किए जाने वाला उचित विद्या का एक अन्य समूह-क अधिकारी तथा महाप्रबंधक (प्रशासन)/ उपमहाप्रबंधक (प्रशासन) शामिल रहेंगे।

परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक चयन समिति में यदि अनुसुचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई सदस्य नहीं है तो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपयुक्त रैंक के एक अधिकारी को भी चयन समिति में शामिल किया जाएगा।"

4. मूल विनियम में विनियम 21क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"21क. आचरण एवं अनुशासन:- आचरण एवं अनुशासन के मामले में प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों पर, समय-समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965, के प्रावधान लागू होंगे।

परन्तु शर्त यह है कि केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 द्वारा शासित मामलों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और पुनरीक्षा प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे :-

क. सं.	अधिकारियाँ / कर्मचारियाँ का ग्रेड	नियुक्तिकर्ता प्राचिकारी	केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमायली, 1965 के नियम 11 में किए गए प्रावधान के अनुसार शास्ति लगाने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी		अपीलीय प्राचिकारी	पुनरीक्षा प्राचिकारी
			लघु शास्तिया	भारी शास्तियां		
(i)	मुख्य महाप्रबंधक और समकक्ष ग्रेड वेतन वाले अधिकारी	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष	अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को शामिल करके	प्राधिकरण
(ii)	महाप्रबंधक और समकक्ष ग्रेड वेतन वाले अधिकारी	अध्यक्ष	सदस्य (प्रशासन)	अध्यक्ष	बनी कार्यकारी समिति	
(iii)	मुख्यालय में उप महाप्रबंधक, प्रबंधक और उप प्रबंधक तथा समकक्ष ग्रेड वेतन वाले अधिकारी	सदस्य (प्रशासन)	वह मुख्य महाप्रबंधक जिसके अधीन अधिकारी कार्यरत है ।	सदस्य (प्रशासन)	अध्यक्ष	अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को शामिल करके बनी कार्यकारी समिति
(i v)	फील्ड कार्यालयों में उप महाप्रबंधक, प्रबंधक और उप प्रबंधक तथा समकक्ष ग्रेड वेतन वाले अधिकारी	सदस्य (प्रशासन)	मुख्य महाप्रबंधक/ क्षे. अ. (जहां क्षे. अ. (जहां क्षे. का. में मुमप्र. तैनात नहीं है वहां मुख्यालय का वह मुमप्र. जो उस राज्य का कामकाज देख रहा हो)	संदस्य (प्रशासन)		

(v)	मुख्यालय में सभी समूह-ख	सदस्य	मुख्य महाप्रबंधक	सदस्य (प्रशासन)	1	I
	पद "	(प्रशासन)	(प्रशा. एवं			1
			मा.सं.)			
(vi)	फील्ड कार्यालयों में सभी	सदस्य	मुख्य	सदस्य (प्रशासन)	अध्यक्ष	अध्यक्ष और
	्र समूह-ख पद	(प्रशासन)	महाप्रबंधक/			पूर्णकालिक सदस्यों
}		, ,	क्षे. अ. (जहां			को शामिल करके
			क्षे. का. में			बनी कार्यकारी
			मुमप्र. तैनात			समिति"
1			नहीं है वहां पर			(1121)()
İ			मुख्यालय का वह			
			मुमप्र. जो उस	·		
			राज्य का			
			कामकाज देख			
			रहा हो)			
(vii)	मुख्यालय में सभी समूह-ग	सदस्य	उपमहाप्रबंध क	सदस्य (प्रशासन)		
	एवं घ पद	(प्रशासन)	(प्रशासन)			
(viii)	फील्ड कार्यालयां में सभी	सदस्य	क्षे.का. का उप	सदस्य (प्रशासन)		
:	समूह-ग एवं घ पद	(प्रशासन)	महाप्रबंधक (जहां	<u> </u>		
			क्षे. का. में उमप्र.			
			तैनात नहीं है			
<u> </u>			वहां मुख्यालय			
	,		का वह उमप्र. जो			
			उस राज्य का			
			कामकाज देख			
			रहा हो)			

5. मूल विनियमों की अनुसूची में निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"टिप्पणी 1:- अनुस्चियों के स्तम्भ 5 में जहां-कहीं पर प्रतिनियुक्ति को भर्ती की विधि निर्धारित किया गया है, वहां स्तम्भ 8 में निर्धारित प्रतिनियुक्ति की अविधि के स्थान पर निम्नितिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

प्रतिनियुक्ति की अवधि:- प्रतिनियुक्ति की प्रारम्भिक अवधि 5 वर्ष की होगी जिसे नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के अनुमोदन से 2 वर्ष बढ़ाया या घटाया जा सकेगा।"

राजीव यादव, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन 111/4/122/12/असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 111, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996, में प्रकाशित की गई थी और उसमें गत संशोधन अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11011/17/2012-एचआर-1(खण्ड V), तारीख 11 सितम्बर, 2012, द्वारा किया गया था जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 111 - खण्ड 4,तारीख 11 सितम्बर, 2012, में प्रकाशित किया गया था।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2012

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion)
Sixth Amendment Regulations, 2012

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Sixth Amendment Regulations, 2012

No.NHAI/11011/17/2012-HR.I(Vol.V).— In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely: -

- 1. Short title and commencement:- (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Sixth Amendment Regulations, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In regulation 11 of the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), for clause (b) of sub-regulations (3), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(b) The constitution of the Selection Committee for non-technical posts of Deputy Manager and Manager will be as indicated in clause (c) below and for non-technical posts of Deputy General Manager, a Member and three Chief General Managers to be nominated by the Appointing Authority."
 - 3. In regulation 11 of the principal regulations, for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
 - "(4) In case of selection of candidates belonging to Group-B, C and D posts, the Selection Committee will comprise of a Chief General Manager and another Group-A officer of appropriate discipline to be nominated by the Appointing Authority and the General Manager (Admn.) / Deputy General Manager (Admn.).

Provided that in each Selection Committee an officer of appropriate rank belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall also be inducted as a Member in case no member of the Selection Committee belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe."

4. In the principal regulations, for regulation 21A, the following regulation shall be substituted, namely:-

"21A. Conduct and Discipline:- The provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, as amended from time to time, shall be applicable to the officers and employees of the Authority in the matter of conduct and discipline.

Provided that in case of matters governed by the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 the disciplinary authority, the appellate authority and reviewing authority shall be as follows:-

Si. No.	Grade of Officers/ Employees	Appointing Authority	Disciplinary Authority impose penalties provide the CCS (CCA) Ru	Appellate Authority	Reviewing Authority	
			Minor Penalties	Major Penalties		
(i)	Chief General Managers & those in equivalent Grade Pay	Chairman	Chairman	Chairman	Executive Committee	Authority
(ii)	General Manager & those in equivalent Grade Pay	Chairman	Member (Admn.)	Chairman	of Chairman and full- time Members	
(iii)	Deputy General Manager, Manager and Deputy Manager & those in equivalent Grade Pay at HQ		Chief General Manager under whom the officer is working	Member (Admn.)	Chairman	Executive Committee comprising of Chairman and full-
(iv)	Deputy General Manager, Manager and Deputy Manager & those in equivalent Grade Pay at Field Offices	Member (Admn.)	Chief General Manager/ RO (where CGM is not posted in RO, CGM of HQ looking after the State)	Member (Admn.)		time Members"
(v)	All Group-B posts at HO	Member (Admn.)	Chief General Manager (Admn. & HR)	Member		
(vi)	All Group-B posts at Field Offices	Member (Admn.)	Chief General Manager/ RO (where CGM is not posted in RO, CGM of HQ looking after the State)	(Admn.) Member (Admn.)		
(vii)	All Group-C and D posts at HQ	Member (Admn.)	Deputy General Manager (Admn.)	Member	1	
(viii)	All Group-C and D posts at Field Offices	Member (Admn.)	Deputy General Manager of RO (where DGM is not posted in RO, DGM of HQ looking after the State)	(Admn.) Member (Admn.)		

Ì

5. In the Schedule to the principal regulations, the following note shall be inserted, namely:-

"Note 1:- Wherever the deputation is prescribed as a mode of recruitment in Column 5 of the Schedules, the period of deputation prescribed in Column 8 thereof shall be substituted, namely:-

<u>Period of deputation</u>:- Initial period of deputation shall be 05 years, which may be extended for a period of 02 years or curtailed with the approval of the Appointing Authority."

RAJIV YADAV, Member (Administration)

[ADVT.-III/4/122/12/Exty.]

Foot Note: The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No.NHAI/11011/17/2012-HR.I(Vol.V), dated 11th September, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 11th September, 2012.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.